



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/शोध (वि.यो.)/311-06/2016
दिनांक : 31/05/2016

कार्यालय आदेश

“शोध” परियोजना के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना क्रमांक 003/2003/का.आ./02-02/2016 दिनांक 01.02.2016 के अनुसरण में प्राप्त शोध प्रस्तावों में से निम्नांकित संशोधित शोध प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है। शोध प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक को रु 50,000.00 (पचास हजार मात्र) की राशि स्वीकृत की जाती है।

अ.क्र.	प्रस्ताव प्रेषित करनेवाले का नाम	विभाग का नाम	शोध का शीर्षक
01.	डॉ. अन्नपूर्णा सी. एसोसिएट प्रोफेसर	अनुवाद अध्ययन विभाग	अनुवाद की विविध विधाओं में संकेतविज्ञान की अनुप्रयुक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
02.	श्री समरजीत यादव सहायक प्रोफेसर एवं सारिका राय शर्मा सहायक प्रोफेसर	शिक्षा विद्यापीठ	हाशिये के समूह के बच्चों के विद्यालयी अनुभव का अध्ययन
03.	श्री अनिर्वाण घोष सहायक प्रोफेसर	विदेशी भाषा एवं विदेशी अध्ययन केंद्र	India-China Bilateral Academic and Cultural Exchanges in the first half of the Twentieth Century
04.	श्री कृष्ण चंद पाण्डेय सहायक प्रोफेसर	डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र	Towards Awareness and Understanding : A study of Buddhist Mindfulness

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 31/05/16

प्रति : सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि

1. कुलपति कार्यालय, 2. प्रतिकुलपति कार्यालय 3. वित्त अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु
4. संयुक्त कुलसचिव, अकादमिक विभाग 4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग 5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली